.Net at Email
Fax ~~

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

कमांक प.3(40)नविवि/3/2004 जयपुर, दिनांकः– 14 AUG 2015

परिपत्र

राज्य के नगरीय निकायों में इस तरह के प्रकरण ध्यान में आये है, जिनमें भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर नहीं दिये जाकर लघु अवधि लीज दिये गये है। यह लघु लीज अवधि कही पर 25 वर्ष है कही 30 वर्ष है। लीज अवधि बढाकर 99 वर्ष किये जाने के संबंध में समय–समय पर आवेदन पेश किये जाते रहे है। राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार लेख है कि जिन प्रकरणों में लघु लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होना शेष है, उन प्रकरणों में अवधि समाप्त होने पर लीज अवधि समाप्त मानते हुए राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम 1974 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

14/8/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
सयुंक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर) एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अलवर विकास प्राधिकरण जयपुर, जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपका पत्र कमांक 2940 दिनांक 19.10.2012 के कम में अजीत पेट्रोल पम्प सर्विस स्टेशन को लघु अवधि पर दिया गया था, जो समाप्त हो चुका है। इस प्रकरण में इस परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करें।
10. रक्षित पत्रावली।

14/8/15

सयुंक्त शासन सचिव–द्वितीय